


2. कार्यस्थल तक सामग्री आपूर्ति करने हेतु सभी प्रकार के कर, परिवहन एवं हथालन व्यय आदि सहित दर का उल्लेख करना अनिवार्य है।
3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्ति किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता अपनी पक्की रसीद के साथ संबंधित लाभुकों से एक संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही पंचायत में जमा करेगा।
4. आपूर्तिकर्ता कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं ऐसे स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा।
5. निविदादाता को अग्रधन के रूप में 10000.00 (दस हजार) रुपये का Bank Draft उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुमका के नाम से जमा करना होगा।
6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आदेश आपूर्ति की तिथि से एक सप्ताह के अंदर निर्दिष्ट स्थल पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
7. निविदा दिनांक 18.5.20 के अप0 02:00 बजे तक उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुमका द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन अप0 03:00 बजे निविदादाता या प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। लिफाफे पर साफ-साफ शब्दों में Plantation Of MGNREGA अंकित कर जमा कर सकते हैं।
8. आपूर्तिकर्ता के द्वारा खाद सामग्रियों को योजना स्थल तक आपूर्ति किया जाना है।
9. निविदा की शर्तों में संशोधन करने या बिना कारण बतायें किसी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा आपूर्तिकर्ता को कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार अधोहरताक्षरी को सुरक्षित होगा।



 उप विकास आयुक्त-सह-
 जिला कार्यक्रम समन्वयक
 दुमका।

ज्ञापांक.....730...../जि0ग्रा0वि0अभि0

दुमका दिनांक.....08/5/2020.....

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दुमका जिला के वेबसाईट www.dumka.nic.in पर उक्त निविदा की विवरणी अपलोड करना सुनिश्चित करें।


 उप विकास आयुक्त-सह-
 जिला कार्यक्रम समन्वयक
 दुमका।